

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 377/2012

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 15141/2009

मु. भंवर बाई व अन्य

बनाम

राज. राज्य व अन्य

आदेश दिनांक

अक्टूबर 31, 2012

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री सुदर्शन लड्डा, अधिवक्ता याचीगण

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2012 को वापिस लिया जाता है एवं रिट याचिका को उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित किये जाने का निर्देश दिया जाता है।

(न्या० मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन/115

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.
B.L. Jain, PS